Title: Need to increase custom duty on Soyabean and Palm oil -Laid.

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : भारत सरकार ने इस साल के बजट में प्रस्ताव पर कई खाद्यान्न पदार्थों पर आयात शुल्क में वृद्धि करके किसानों को बचाने का प्रयास किया, किन्तु सोयाबिन, रेपसीड ऑयल एवम् केस्टर्ड ऑयल के आयात शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की है जिसके कारण खाद्यान्न तेल का उत्पादन करने वाले किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में किसान बड़ी मात्रा में राई और अन्य तिलहनों का उत्पादन करते हैं एवम् उनके परिवारों की जीविका इन्हीं खाद्यान्न तेलों पर निर्भर करती है। मेरी जानकारी में आया है कि जैवीकरण के माध्यम से सोयाबीन एवम् पाल्म ऑयल का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। इन्हें जापान, अमेरिका एवम् यूरोप के देशों में स्वास्थ्य की दृटि से खाना पसन्द नहीं करते हैं। अतः वे इन्हें विकासशील देशों को भेज देते हैं।

मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सोयाबीन एवम् पाल्म ऑयल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा कर भारतीय किसानों को संरक्षण प्रदान किया जाए।